the responsibility of the concerned State Government. The State institutional agencies namely, the State Co-operatives, the State Agro Industries Corporations, the State Marketing Federation, public sector organisations and the Private agencies are involved in the distribution and sale of fertilizers to farmers including small and marginal farmers.

Modernisation of Track bed

783. SHRI YERRA NARAYANASWAME: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to totally modernise and improve the trackbed in the Nellore-Rajahmundry Sector of South Central Railways;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether it is a fact that the present track bed is not capable of traffic load; and

(d) the steps proposed to improve the track bed in this sector for safety and commercial reasons?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) and (b) Track Renewals of existing track structure are carried out on age-cum-condition basis and on Nellore-Rajahmundry section existing metal sleepers are being replaced by concrete sleepers in a phased manner. Track Renewal works are being executed on this section as and when they become due.

Around 28 kms. of track renewal are programmed during 1996-97 and 147 kms. of deep screening are also planned for 1996-97.

(c) and (d) No, Sir. The existing track structure is considered safe to carry traffic at the present speeds.

रेल दुर्घटनाएं

784. श्री रामजी लाल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1994-95 की तुलना में वर्ष 1995-96 और 1996-97 में रेल दुर्घटनाएं अधिक हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण है और इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) सभी दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतपाल महाराज): जी नहीं, गाड़ी दुर्घटनाएं, 1994-95 के दौरान 501 की तुलना में घटकर 1995-96 में 398 हुई। अप्रैल से अक्तूबर 1994 की अवधि के दौरान 307 परिणामी दुर्घटनाओं की तुलना में 1996-97 की उसी अवधि में 222 दुर्घटनाएं हुईं।

संरक्षा में सुधार लाने तथा दुर्घटनाओं को रोक-थाम के लिए किए गए कुछ उपाय इस प्रकार है;—

1. ट्रंक मार्गों और अन्य महत्वपूर्ण मुख्य लाइनों पर रेलपथ परिपथन के काम में तेजी लाई गई है।
2. दुर्घटनाओं में मानवीय भूल की संभावनाओं को कम करने के लिए सिगनलिंग सर्किटरी में आशोधन किया जा रहा है।
3. मुंबई उपरगरीय खंडों पर चलती गाड़ी के ड्राइवर को खतरे के सिगनलों के बारे में अग्रिम चेतावनी देने के लिए सहायक चेतावनी प्रणाली शुरू कर दी गई है।
4. रेलपथ के अनुरक्षण के लिए टाइटेम्पिंग और गिट्टी छनाई मशीनों के उपयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि की गई है।
5. रेलपथ ज्यामिति और रेलपथ की चालन संबंधी विशेषताओं पर निगरानी रखने के लिए परिष्कृत रेलपथ अभिलेखी यान, दोलनलखी यान और सुवाह्य त्वरणमापियों का उत्तरोत्तर उपयोग किया जा रहा है।
6. कई डिपुओं में सवारी और माल डिब्बों के अनुरक्षण की सुविधाओं को आधुनिक बनाया गया है और उन्हें अपग्रेड किया गया है।
7. धुरों की कोल्ड ब्रेकेज के मामलों की रोकथाम के लिए धुरों में दोषों का पता लगाने के लिए नेर ओवरहाल डिपुओं में अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग उपर लगाए गए हैं।
8. बिना चौकीदार वाले समपारों पर सीटी बोर्डों रोधकों और सड़क चिह्न की व्यवस्था की ग और ड्राइवरों के लिए दृश्यता में सुधार किया ग है।

9. सड़क उपयोगकर्ताओं को यह समझाने के लिए कि रेलपथ को सुरक्षित ढंग से कैसे पार करना है, दृश्य-श्रव्य प्रचार अभियान चलाए जाते हैं।

10. यात्री गाड़ियों में ज्वलनशील तथा विस्फोटक सामग्री ले जाने पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए गए हैं।

11. ड्राइवरों, गार्डों और गाड़ी परिचालन के काम में लगे कर्मचारियों की प्रशिक्षण संबंधी सुविधाओं को आधुनिक बनाया गया है। इसमें ड्राइवरों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटरों का उपयोग भी शामिल है।

12. गाड़ी परिचालन के काम में लगे कर्मचारियों के कार्य-निष्पादन पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है और जिनमें कोई कमी पाई जाती है, उन्हें क्रैश प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है।

13. कर्मचारियों में संरक्षा की भावना पैदा करने के लिए, समय-समय पर संरक्षा अभियान चलाए जाते हैं।

(घ) सभी दुर्घटनाओं की जांच अधिकारियों की एक समिति द्वारा की जाती है। गंभीर दुर्घटनाओं की जांच रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा की जाती है। दुर्घटना के आकार और जिम्मेदारी की मात्रा के आधार पर दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेवार पाए गए रेल कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्तगी से लेकर परनिन्दा/चेतावनी आदि दण्ड दिए जाते हैं।

समपारों पर रेल दुर्घटनाएं जो रेल अधिनियम और मोटरवाहन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने और तोड़फोड़ आदि के कारण होती है, उनके लिए रेलें राज्य पुलिस के पास प्राथमिकी दर्ज कराती हैं जो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करती है।

Birth centenary of Netaji Subhas Chandra Bose

785. SHRI ASHOK MITRA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the details of the programme drawn-up by Government for observing the birth centenary of Netaji Subhas Chandra Bose; and

(b) whether there is a proposal, as part of the centenary programme, to publish under official auspices the entire writings of Netaji Bose?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI S.R. BOMMAI): (a) The Government of India has constituted a National Committee under the Chairmanship of Prime Minister of celebrate the Birth Centenary of Netaji Subhas Chandra Bose. The year-long celebration would begin on 23rd January 1997 with an inaugural function at Red Fort in Delhi. A commemorative stamp and a commemorative coin are also proposed to be released.

(b) No, Sir. However, the Department of Education has released grant to the tune of Rs. 7,66,000.00 to Netaji Research Institute, Calcutta for bringing out the collected works of Netaji Subhas Chandra Bose in ten volumes.

Privatisation of Railway Projects

786. SHRI SANJAY DALMIA: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government have offered several railway projects worth Rs. 4390 crores to the private sector during the last one year;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the details of projects alongwith estimated worth and the private sector agencies to which the various projects have been allotted or are likely to be allotted;

(d) whether Government have considered the merits and demerits of allocation of projects to the private sector; and

(e) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) and (b) With a sharp reduction in budgetary support for Railways expansion plans, the Indian Railways had identified some of the projects worth approx. Rs. 4390 crores for taking up through investment by private sector under Build-Own-Lease-Transfer (BOLT) scheme.

(c) I the following projects have so far been allotted to the private sector under the BOLT scheme.

s. No	Projects	Approx. Cost (Rs. in crores)	Agency
1.	Viramgam-Mehsana Gauge Conversion	60	M/s Hydron Enviro Systems Ltd.,
2.	Mudkhed-Adilabad Gauge Conversion	160	Ahmedabad. M/s Shakthi Concrete